बी.ए. द्वितीय वर्ष
प्रथम प्रश्न पत्र

— डा० कृपा शंकर यादव

⇒ अरस्तू का न्याय सिद्धान्त

→ न्याय सम्पूर्ण नैतिक गुणों की अभिव्यक्ति है। यह सक्रिय सद्गुण (Virtue in Action) है, समस्त गुणों का स्रोत है।

→ न्याय के प्रकार :— ① सामान्य न्याय ② विशिष्ट न्याय

① सामान्य न्याय (General Justice) — "न्याय का सद्गुण जिसमें अन्य सब गुण शामिल हैं, ऐसा सद्गुण है जो सामाजिक सम्बन्धों के लिए सक्रिय रहता है। इसलिए सामान्य न्याय का सिद्धान्त राजनीतिक समाज के अस्तित्व के लिए एक आवश्यक तत्व है।" यह सम्पूर्ण अच्छाई और श्रेष्ठता का प्रतीक है।

② विशिष्ट न्याय (Particular Justice) —

(i) वितरणात्मक न्याय (Distributive Justice) — प्रत्येक नागरिक को राजकीय पद एवं पुरस्कार उसके द्वारा किये गये योगदान के अनुपात में प्राप्त होना चाहिए।

(ii) सुधारात्मक न्याय (Corrective Justice) — व्यक्ति के जीवन, सम्पत्ति, स्वतंत्रता आदि की रक्षा करना राज्य का कार्य है। राज्य का प्रत्येक सदस्य दूसरे सदस्य के अधिकार क्षेत्र में अनाधिकार हस्तक्षेप न करें।

⇒ अरस्तू की शिक्षा पद्धति

→ शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति की भावनाओं का दृढ़ ढंग से प्रशिक्षण करना है जिससे उसके विवेक के उत्थान में सहायता मिल सके।

— सम्पूर्ण शिक्षा पद्धति का संचालन एवं नियंत्रण राज्य द्वारा होना चाहिए।

→ शिक्षा का कार्यक्रम :— ① प्रथम काल — जन्म से 7 वर्ष तक :— शारीरिक विकास हो व्यायाम एवं संगीत शिक्षा तथा विभिन्न कलाओं से परिचय कराया जाना चाहिए।

② द्वितीय काल — 8 से 14 वर्ष तक :— शारीरिक ज्ञान पर बल। व्यायाम। पढ़ना-लिखना। चित्रकला एवं संगीत शिक्षा। नैतिक उत्थान की ओर जीवन हो।

③ तृतीय काल — 15 से 21 वर्ष तक :— शारीरिक विकास हेतु कठिन व्यायाम। संगीत चित्रकला, गणित। मनोरंजक कार्यक्रम (संगीत)। आत्मा एवं बुद्धि का विकास एवं शान्ति प्रदान करना